बाल विवाह मुक्त भारत

CHILD MARRIAGE FREE BHARAT

बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत

अभियान विवरण

बाल विवाह मुक्त भारत क्यों?

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जो लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बड़ी बाधा है और उन्हें उनके सपनों को साकार करने से रोकती है। इसलिए बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **बाल विवाह पर पूरी तरह रोक लगे और सभी बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो।**

बाल विवाह से बचपन और व्यक्तिगत सुरक्षा का नुकसान होता है, स्वास्थ्य संबंधी खतरा होता है और उनके विकास के रास्ते बंद हो जाते हैं

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह की दर में कुल मिलाकर कमी आई है, लेकिन यह अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है। **राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - 5 (2019-21)** से पता चला है कि भारत में 23.3% महिलाओं (20-24 वर्ष की आयु के बीच) की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई थी। बाल विवाह के दुष्परिणामों में कम उम्र में गर्भधारण, मातृ और नवजात मृत्यु दर, बाल स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा में बाधा, रोजगार और आजीविका के अवसरों में कमी तथा हिंसा और दुर्व्यवहार के खतरे का सामना शामिल हैं।

बाल विवाह बच्चों से बलात्कार है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कहा गया है कि किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम आयु की है, के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना है कि यदि किसी बालिका का पति अपनी पत्नी का यौन उत्पीड़न करता है, तो यह यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न है।

बाल विवाह से निपटने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सी) संख्या 1234/2017 सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एवं अन्य बनाम याचिकाकर्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के अपने फैसले में राज्यों के लिए एक रूपरेखा दी है।

अभियान के उद्देश्य

- 2025 तक बाल विवाह को 23.3% (NFHS-5) से घटाकर 10% करना तथा 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना।
- बाल विवाह को समाप्त करने और विवाह पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक और ग्राम स्तरीय संस्थाओं को मजबूत बनाना।
- महिलाओं को नेतृत्वकर्ता के रूप में सशक्त बनाना तथा उन्हें अपने गांवों में बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सक्षम बनाना।
- धार्मिक नेताओं, स्थानीय समुदायों, मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों से अपील करें कि वे अपने क्षेत्रों में बाल विवाह को समाप्त करने में सहयोग करें।
- बाल विवाह से संबंधित शिकायतों पर तत्काल प्रतिक्रिया के लिए कानून प्रवर्तन और बाल संरक्षण एजेंसियों की क्षमता का निर्माण करना।
- बाल विवाह पीड़ितों की शिक्षा व पुनर्वास।

बाल विवाह पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा कानून लागू होता है?

बाल विवाह कानून की रोकथाम के लिए बने कानून को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006 कहा जाता है।

2. पीसीएमए किस पर लागू होता है?

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 भारत के सभी नागरिकों पर तथा सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है।

3. बाल विवाह क्या है?

जब 18 वर्ष से कम आयु की लड़की या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह किया जाता है, तो इसे बाल विवाह कहा जाता है।

याद रखें: यदि कोई वयस्क पुरुष (21 वर्ष से अधिक आयु का) 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है, तो ऐसे विवाह को भी बाल विवाह कहा जाता है।

4. बाल विवाह के दुष्परिणाम क्या हैं?

बाल विवाह, विशेषकर लड़कियों के विवाह के दुष्परिणामों में कम उम्र में गर्भधारण, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर, बाल स्वास्थ्य समस्याएं, शैक्षिक बाधाएं, रोजगार/आजीविका की कम संभावनाएं, तथा हिंसा एवं दुर्व्यवहार के जोखिम शामिल हैं।

5. देश में बाल विवाह का प्रचलन कितना है?

भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, 20-24 वर्ष की आयु वर्ग की 23.3% लड़कियों की शादी 18 वर्ष की आयु से पहले हो गई।

6. बाल विवाह की प्रकृति क्या है?

प्रत्येक बाल विवाह, चाहे वह अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में सम्पन्न हुआ हो, उस पक्षकार की अर्जी पर खारिज किया जा सकता है जो विवाह के समय बच्चा था। बाल विवाह को निरस्त करने की अर्जी जिला न्यायालय में वही पक्षकार दायर कर सकता है जो विवाह के समय नाबालिग था।

7. क्या वैवाहिक संबंधों में बच्चे के साथ यौन संबंध बनाना अपराध है?

हां, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 63 के तहत किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी, जो 18 वर्ष से कम उम्र की हो, के साथ यौन संबंध बनाने को बलात्कार माना जाता है और कानून के तहत दंडनीय है।

8. बाल विवाह की रिपोर्ट या शिकायत कौन कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसे यह विश्वास हो कि बाल विवाह हुआ है या होने वाला है, शिकायत कर सकता है।

9. बाल विवाह की शिकायत कहां करें?

बाल विवाह की सूचना निम्नलिखित पते पर दी जा सकती है:

- पुलिस
- बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ)
- बाल कल्याण समिति
- जिलाधिकारी
- अदालत
- चाइल्डलाइन (1098)

10. पीसीएमए, 2006 के अंतर्गत 'शून्यकरणीय' का क्या अर्थ है?

शून्यकरणीय का अर्थ है कि विवाहित बच्चा विवाह को समाप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। बच्चा पुलिस, बाल कल्याण समिति, सीएमपीओ, चाइल्डलाइन, एनजीओ या उस किसी भी व्यक्ति की मदद से न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है जिस पर वह भरोसा करता है।

11. विवाह निरस्तीकरण के लिए बच्चा कहां जा सकता है?

बच्चा विवाह रद्द करने के लिए जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।

12. यदि कोई लड़की 18 वर्ष की हो जाती है, तो क्या उसकी शादी रद्द हो सकती है?

हां, अगर कोई लड़की 18 साल की हो जाती है, तो भी वह 18 साल की होने के 2 साल के भीतर अपनी शादी रद्द करवा सकती है। इसका मतलब है कि वह 20 साल की उम्र से पहले अपनी शादी रद्द करवा सकती है।

13. क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की वैवाहिक संबंधों में बलात्कार की शिकायत कर सकती है? किस कानून के तहत इसे बलात्कार माना जाता है?

हां, अगर लड़की की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, तो वह पुलिस में बलात्कार की शिकायत कर सकती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ यौन गतिविधि को बलात्कार माना जाता है।

14. क्या हम बाल विवाह को रोक सकते हैं?

हां, हम बाल विवाह को रोक सकते हैं।

15. बाल विवाह कैसे रोका जा सकता है?

न्यायालय से 'निषेधाज्ञा आदेश' (बाल विवाह रोकने का आदेश) प्राप्त करके बाल विवाह को रोका जा सकता है।

16. 'निषेधाज्ञा' (बाल विवाह रोकने का आदेश) कहां से प्राप्त किया जा सकता है?

'निषेधाज्ञा' (बाल विवाह रोकने का आदेश) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से प्राप्त किया जा सकता है।

यदि कोई बाल विवाह तय हो चुका है या होने वाला है तो न्यायालय ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर सकता है।

17. निषेधाज्ञा आदेश (बाल विवाह रोकने का आदेश) प्राप्त करने के लिए किस न्यायालय में आवेदन करना होगा?

निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त करने के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट से संपर्क करना होगा।

18. कोई बच्चा अपनी शादी को रद्द करने के लिए अदालत में कैसे जा सकता है?

कोई भी बच्चा बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), बाल कल्याण समिति या अपने अभिभावक के माध्यम से अदालत में जा सकता है।

19. बाल विवाह कराने पर किसे दंडित किया जा सकता है?

- बाल विवाह कराने के लिए जिन लोगों को दंडित किया जा सकता है उनमें शामिल हैं:
- इक्कीस वर्ष से अधिक आयु का कोई भी पुरुष जो अठारह वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है
- कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह संपन्न कराता है या उसका संचालन करता है जैसे पुजारी, मौलवी या पादरी
- ऐसे व्यक्ति/संगठन जो बाल विवाह को बढ़ावा देते हैं या अनुमति देते हैं जैसे माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदार/पड़ोसी/बिचौलिया आदि।
- कोई भी व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा पारित किए जाने के बाद भी बाल विवाह करता है

20. बाल विवाह करने पर क्या सजा है?

जो कोई भी बाल विवाह संपन्न करता है, उसका संचालन करता है, निर्देश देता है या इसे प्रोत्साहित करता है, उसे दो वर्ष तक के कठोर कारावास से तथा एक लाख रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि उसके पास यह मानने के कारण थे कि यह बाल विवाह नहीं था।

21. बाल विवाह किस प्रकार का अपराध है?

बाल विवाह एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है।

22. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम किसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है?

कानून के प्रावधान निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध लागू किए जा सकते हैं:

- दूल्हे पर यदि उसकी उम्र 21 से ज्यादा हो
- पुजारी या विवाह संपन्न कराने वाला कोई भी व्यक्ति
- बाल विवाह की अनुमति देने के लिए माता-पिता/अभिभावक
- अपराध में सहायता या बढ़ावा देने के लिए रिश्तेदार, अतिथि, पड़ोसी

23. बाल विवाह निषेध अधिकारी कौन है?

बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) किसी भी क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी है।

24. सीएमपीओ के कार्य और कर्तव्य क्या हैं?

सीएमपीओ के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

बाल विवाह रोकना :

- बाल विवाह कराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करना। व्यक्तिगत मामलों में सलाह देना या आम तौर पर इलाके के निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, मदद करने, सहायता करने या अनुमति देने में लिप्त न होने के लिए परामर्श देना। इस सामाजिक बुराई और इसके दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना।

25. बाल विवाह पीड़ित के अधिकार क्या हैं?

प्रत्येक बाल विवाह पीड़ित को पुनर्विवाह तक भरण-पोषण और निवास का अधिकार है।

26. बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों के क्या अधिकार हैं?

बाल विवाह से पैदा हुआ प्रत्येक बच्चा वैध बच्चा है और उसे भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि का अधिकार है।

27. बाल विवाह को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

बाल विवाह को रोकने के लिए हम यह कर सकते हैं:

- बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में माता-पिता और समुदाय के बीच जागरूकता फैलाना।
- बाल विवाह की किसी भी घटना की रिपोर्ट करें।
- बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें।
- बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने के लिए समुदाय के नेताओं को संवेदनशील बनाएं।
- ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं कल्याण समिति को मजबूत बनाना।

नोट: विस्तृत जानकारी के लिए कृपया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 देखें।

27 नवंबर 2024 को अभियान

27 नवंबर को बाल विवाह मुक्त भारत पूरे देश को एक साथ लाने, बाल विवाह के खिलाफ शपथ लेने और इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए तैयार है।

कार्रवाई का आह्वान

27 नवंबर, 2024

बाल विवाह मुक्त भारत

के निर्माण की शपथ लें

इस अभियान में शामिल हों और एक ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनें तथा बाल अधिकारों की रक्षा में योगदान दें। जागरूकता बढ़ाने और अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने के लिए इस अभियान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।

बाल विवाह के खिलाफ शपथ

बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और गैर कानूनी है, जो बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और विकास में बाधा है, तथा उनके सपनों को साकार होने से रोकती है।

इसलिए मैं शपथ लेता /लेती हूँ कि...

- **मैं बाल विवाह के खिलाफ हर संभव प्रयास करूंगा/करूंगी**
- **सुनिश्चित करूंगा/करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस और समुदाय में किसी बालिका का बाल विवाह न होने पाए**
- **मैं ऐसे किसी भी बाल विवाह के प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगा/दूंगी।**
- **मैं बच्चों की शिक्षा एवं सुरक्षा के लिए भी अपनी आवाज बुलंद करूंगा/ करूंगी और बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करूंगा/करूंगी।**

#BalVivahMuktBharat

@MinistryWCD MinistryWCD @ministrywcd @ministrywcd

*In case of any inconsistency in the content, English version will prevail